

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)(3)स्था./आईसीडीएस/10/पार्ट-1/114590

जयपुर, दिनांक 21/6/2018

आदेश

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 के नियम 27(क) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनोपरान्त उप निदेशक के पद पर वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-16 में उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों की रिक्तियों के प्रति एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


चयन वर्ष 2017-18

क्र. सं.	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्ग	चयन वर्ष	पदोन्नति प्रभावी दिनांक (रिक्ती तिथी)	विशेष विवरण
1	उषा रानी चौधरी	सामान्य	2017-18	1.4.17	
2	केशर ढिंडोर	अजजा	2017-18	1.6.17	सेवानिवृति दि. 30.4.18
3	मोहिनी परमार	अजजा	2017-18	1.8.17	स्वै0 सेवानिवृति 30.4.18
4	कौशल्या परमार	अजजा	2017-18	6.12.17	
5	शांती वर्मा (छापरवाल)	सामान्य	2017-18	1.1.18	

साथ ही निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका पदोन्नति के नाम पर विचार आस्थगित (Deferred) रखते हुए प्रत्येक के लिए एक पद आरक्षित रखे जाने की अभिशंषा की गयी -

क्र.सं.	नाम कार्मिक (सुश्री/श्रीमती)	वर्ग	विशेष विवरण
1	ममता यादव	सामान्य	सेवानिवृति दि. 31.3.18
2	कौशल्या वैष्णव	सामान्य	

पदोन्नत अधिकारियों में से वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज., जयपुर


lesfdr cky fodkl lsok,sa] 2] tyiFk] xka/khuxj] t;iqj

Department website - www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-fax 0141-2700281) T.N. - 0141-2713630

क्रमांक-एफ.1(1)(3)स्था./आईसीडीएस/10/पार्ट-1/114591-621 जयपुर, दिनांक 21/6/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वि. सहा., मा. राज्य मंत्री महोदया, (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज., जयपुर।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग -----।
7. सम्बन्धित अधिकारी श्री/सुश्री/श्रीमती -----।
8. निजी पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी श्री/सुश्री/श्रीमती -----।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज., जयपुर